

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर**

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./पार्ट-2/2018/

दिनांक:-

--आदेश--

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मी जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	तारा शर्मा	नर्स-1	जयपुर	01.04.58	31.03.18
2.	अयूबअली	नर्सिंग ट्यूटर	जयपुर	05.04.58	30.04.18
3.	राम गोपाल शर्मा	नर्स-1	केकड़ी अजमेर	01.07.58	30.06.18
4.	लालाराम सांवरिया	नर्स-1	झुन्झुनूं	10.07.58	31.07.18
5.	रिछपाल सिंह भास्कर	नर्सिंग ट्यूटर	सीकर	05.07.58	31.07.18
6.	कंचन लाल मीना	नर्स-1	करौली	01.08.58	31.07.18
7.	विरेन्द्र कुमार	नर्स-1	पाली	06.12.58	31.12.18
8.	आशा गुप्ता	नर्स-1	जोधपुर	01.12.58	30.11.18
9.	बाल कवर	नर्स प्रथम	जोधपुर	01.01.59	31.12.18

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक: 11/01/18

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./पार्ट-2/2018/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर/सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजस्थान जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली/झुन्झुनूं/करौली।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर/केकड़ी अजमेर।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर